रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2001/पौष 29, 1922

No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2001/PAUSA 29, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2001

सं. ए-30012/1/98-टीएएमपी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ अधिनियम) की धारा 47ज (2) के साथ पठित धारा 123क के सहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की सहमति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(i) इन विनियमों का नाम महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 होगा ।

(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

लागू होना :

ये विनियम निम्नलिखित को छोड़कर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होंगे :

(i) अध्यक्ष

(ii) सदस्य (अंशकालिक सदस्य सहित)

(iii) कर्मचारी, जो पूर्णकालिक नौकरी में न हो ।

(iv) कर्मचारी, संविदा के आधार पर नियुक्त।

(v) कर्मचारी, जिसे आकस्मिक निधि से भुगतान किया जाता हो ।

3. परिभाषाएँ :

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी :

(i) 'अधिनियम' का आशय महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ अधिनियम) से है ।

(ii) 'प्राधिकरण' का आशय अधिनियम की धारा 47क के अधीन गठित महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से है ।

(iii) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का आशय अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है।

(iv) 'केन्द्रीय स्वायत्त निकाय' से आशय उस निकाय से है जिसे उपकर अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुदानों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इनमें केन्द्रीय सांविधिक निकाय अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल है, किन्तु इनमें लोक उद्यम ब्यूरो के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम शामिल नहीं हैं।

(v) 'अध्यक्ष' का आशय अधिनियम की धारा 47क के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकरण के अध्यक्ष से है।

(vi) 'कर्मचारी' का आशय सेवा विनियमों के अनुसार प्राधिकरण-कार्यालय में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति से है।

(vii) 'पर्याप्त रूप से वित्तपोषित' से आशय 50 प्रतिशत से अधिक खर्च की पूर्ति उपकर अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुदानों से होने से है।

(viii) 'सदस्य' का आशय अधिनियम की धारा 47क के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य (अंशकालिक सदस्य सहित) से है।

(ix) 'वेतन' का आशय वेतनमान में मूल वेतन जमा विशेष वेतन तथा महँगाई वेतन और वेतन के रूप में वर्गीकृत परिलब्धियों से है।

(x) 'स्थायी कर्मचारी' का आशय ऐसे कर्मचारी से है जो मूल पद अथवा अस्थायी मूल पद पर कार्यरत हो अथवा जिसका स्थायी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार हो अथवा जिसका स्थायी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार रहता यदि पुनर्ग्रहणाधिकार को निलंबित नहीं किया गया होता।

(xi) 'परिवीक्षाधीन' का आशय प्राधिकरण-कार्यालय में किसी पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति से है।

(xii) 'लोक सेवक' का आशय अधिनियम की धारा 112 के तहत परिभाषित व्यक्ति से है।

(xiii) 'अस्थायी सेवा' से आशय प्राधिकरण के अधीन अस्थायी पद पर कर्मचारी की सेवा अथवा स्थायी पद पर स्थानापन्न सेवा से है।

अस्थायी सेवा की समाप्ति

(i) (क) अस्थायी सेवा में कर्मचारी की सेवाएँ कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकती हैं।

(ख) ऐसे नोटिस की अवधि एक माह होगी।

परंतु ऐसे किसी भी कर्मचारी की सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकती हैं और ऐसी सेवा-समाप्ति पर कर्मचारी यथास्थिति नोटिस की अवधि अथवा उस अवधि के लिए जो एक माह की नोटिस अवधि से कम हो, उन्हीं दरों पर वेतन और भत्तों के समतुल्य राशि का दावा करने का हकदार होगा, जिन दरों पर वह सेवा-समाप्ति से तत्काल पूर्व आहरित कर रहा था।

(ii) खंड (i) के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी को नोटिस देते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

(क) यह नोटिस कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से सौंपा अथवा भेजा जाएगा।

(ख) जब वैयक्तिक सेवा व्यावहारिक न हो तो कर्मचारी को यह नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा (पावती सहित) प्राधिकरण में उपलब्ध पते पर भेजा जाएगा ; और,

(ग) यदि पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया नोटिस बिना प्राप्त हुए वापस आता है तो उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भारत के राजपत्र/दो मुख्य समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और इस प्रकाशन के पश्चात यह समझ लिया जाएगा कि नोटिस के भारत के राजपत्र/समाचारपत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से नोटिस तामील कर दिया गया है।

(iii) यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के लिए नोटिस दिया जाता है अथवा उस नोटिस की अवधि समाप्त होने या वेतन और भत्तों की अदायगी के तत्काल पश्चात किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त की जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण का अध्यक्ष, यदि उक्त प्राधिकारी उसके अधीन है, अपनी ओर से अथवा अन्यथा ऐसी जाँच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात मामले पर पुनर्विचार कर :

(क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकता है

(ख) नोटिस वापिस ले सकता है

(ग) कर्मचारी की सेवा बहाल कर सकता है ; अथवा

(घ) इस मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकता है, जोकि उचित हो ;

परन्तु, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जिन्हें लिखित में दर्ज किया जाएगा, इस विनियम के तहत निम्नलिखित से तीन माह की समाप्ति के पश्चात मामले पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा:

(क) नोटिस की तारीख से, यदि नोटिस दिया गया हो ; और,

(ख) सेवा-समाप्ति की तारीख से, यदि नोटिस नहीं दिया गया हो।

(iv) यदि कर्मचारी की खंड (iii) के अंतर्गत सेवा बहाल की जाती है तो बहाली आदेश में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया जाएगा :

(क) कर्मचारी को उसकी सेवा-समाप्ति की तारीख और सेवा बहाली की तारीख के बीच अनुपस्थिति की अवधि के लिए दिए जाने वाले, यदि कोई हो, वेतन और भत्ते की राशि या अंश ; और,

(ख) उक्त अवधि को किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों से ड्यूटी पर बिताई गई अवधि माना जाएगा अथवा नहीं।

5. परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की सेवा-समाप्ति

यदि किसी मामले में परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर (बढ़ाई

गई अवधि सहित, यदि कोई हो) बिना नोटिस के सेवा-समाप्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तें नियुक्ति पत्र में दी गई हैं तो परिवी ीन/परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएँ इन विनियमों के बजाय नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार समाप्त की जाएंगी।

6. **छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि का भुगतान**

(i) यदि किसी कर्मचारी की सेवाएँ नोटिस देकर अथवा उसके बदले वेतन और भत्तों के भुगतान करके अथवा उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार समाप्त की जाती हैं तो उसे उसकी सेवा समाप्ति की तारीख तक उसके खाते में जमा अधिकतम 300 दिन, के अर्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि प्रदान की जाएगी।

(ii) यदि कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा सेवा छोड़ता है तो उसे सेवा-समाप्ति की तारीख को उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि प्रदान की जाएगी, परंतु यह राशि कर्मचारी के खाते में जमा ऐसे अवकाश का आधा भाग, अधिकतम 150 दिन के लिए दी जाएगी।

(iii) खंड (i) और (ii) के अंतर्गत देय समतुल्य राशि का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाएगा :

$$\text{समतुल्य नकद राशि} = \frac{\text{सेवा-समाप्ति की तारीख को देय वेतन जमा उस तारीख तक स्वीकार्य महँगाई भत्ता} \times \text{अप्रयुक्त अर्जित छुट्टियों की संख्या जिनका नकदीकरण स्वीकार्य है}}{30}$$

इस राशि का भुगतान एक बार में एकमुश्त किया जाएगा। मकान किराया भत्ता अथवा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा।

(iv) यदि किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन खाते में बिना किसी कटौती किए अधिकतम 300 दिन के उस छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि दी जाएगी जो यदि मृत कर्मचारी अर्जित अवकाश पर गया होता और ये अवकाश मृत्यु की तारीख के तत्काल बाद उसे देय तथा स्वीकार्य होता। मृत कर्मचारी का परिवार इन विनियमों के अंतर्गत स्वीकार्य अवकाश वेतन के समतुल्य नकद राशि के अलावा इस संबंध में अलग से जारी आदेशों के अनुसार केवल महँगाई भत्ते का भुगतान प्राप्त करने का भी हकदार होगा।

7. **शारीरिक अस्वस्थता के कारण अस्थायी सेवा की समाप्ति**

इन विनियमो में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अस्थायी कर्मचारी की सेवाएँ, यदि वह स्थायी नियुक्ति पर होता तो स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा, सेवा में आगे

के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित किए जाने पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकती हैं।

8. अस्थायी कर्मचारी को देय सेवांत उपदान

(i) खंड (iii) के उपबंधों के अनुसार अस्थायी कर्मचारी, जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होता है अथवा जिसे सेवा से हटा दिया जाता है अथवा आगे सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, निम्नलिखित दर पर उपदान का पात्र होगा -

(क) सेवानिवृत्ति के समय, हटाए जाने अथवा अयोग्य घोषित किए जाने के समय यदि कर्मचारी ने सतत सेवा के कम-से-कम 5 वर्ष पूरे कर लिए हों तो सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के आधे माह का वेतन ; और,

(ख) सेवानिवृत्ति, हटाए जाने अथवा अयोग्य घोषित किए जाने के समय यदि कमर्चारी ने सतत् सेवा में कम से कम दस वर्ष पूरे कर लिए हों तो, सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए एक माह का वेतन, परंतु अधिकतम 15 माह अथवा 15 हजार रूपये, जो भी कम हो ;

परंतु इन विनियमों के अंतर्गत देय सेवांत उपदान की राशि उस राशि से कम नहीं होगी जो यदि कर्मचारी अपने सतत अस्थायी सेवा की तारीख से महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अंशदान भविष्य निधि का सदस्य होता तो कर्मचारी को समरूप अंशदान से प्राप्त होती, परंतु समरूप अंशदान उसके वेतन का 8 1/3 प्रतिशत से अधिक न होगा।

(ii) ऐसे अस्थायी कर्मचारी के मामले में जिसे अनुशासनिक कार्रवाई के कारण सेवा से अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया जाता है खंड (i) के उपबंध इस संशोधन के साथ लागू होंगे कि उसके मामले में देय उपदान की दर यथास्थिति खंड (i) (क) और (ख) के अधीन उल्लिखित दरों के दो-तिहाई से कम नहीं होगी, किन्तु किसी भी स्थिति में उससे अधिक नहीं होगी।

(iii) ऐसे अस्थायी कर्मचारी के मामले में जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होता है अथवा जिसे कम से कम 10 वर्ष अस्थायी सेवा प्रदान करने के पश्चात उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है अथवा सेवा के 20 वर्ष पूर्ण होने पर तीन माह का लिखित नोटिस देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता है, खंड (i) के उपबंध लागू नहीं होंगे और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के उपबंध के अनुसार (महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (पेंशन) विनियमों के भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने तक)

(क) ऐसा कर्मचारी यथास्थिति अर्धवर्षिता अनुदान, अयोग्य अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन, प्राप्त करने और सेवानिवृत्ति उपदान का पात्र होगा ; और

(ख) सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्य परिवार पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(iv) अस्थायी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसका परिवार केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के अधीन (महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (पेंशन) विनियमों के भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने तक) स्थायी कर्मचारियों पर लागू उपबंधों के समान परिवार पेंशन और मृत्यु उपदान का पात्र होगा।

(v) ,ऐसे कर्मचारी के लिए उपदान स्वीकार्य नहीं होगा -

(क) जो अपने पद से त्यागपत्र देता है अथवा जिसे अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप निष्कासित अथवा बर्खास्त कर दिया गया हो ; और,

(ख) जो अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन के पश्चात पुनर्नियुक्त हो ;

परंतु ऐसे अस्थायी कर्मचारी को जिसने सरकारी, सरकार के पूर्णतः अथवा आंशिक स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन निगम अथवा कम्पनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा वित्तपोषित निकाय में नियुक्ति के लिए सरकार की पूर्वानुमति से सेवा से त्यागपत्र दिया हो, प्राधिकरण में की गई सेवा के संबंध में खंड (i) के अधीन निर्धारित दर पर सेवांत उपदान दिया जाएगा ;

परंतु ऐसे अस्थायी कर्मचारी को जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य केन्द्रीय स्वायत्त निकाय में प्राधिकरण की अनुमति से आमेलित हो गया हो, विनियम 8 (i) के अधीन सेवांत उपदान आहरित करने के स्थान पर केन्द्रीय सरकार अथवा उसके स्वायत्त निकाय में, यदि उसमें पेंशन योजना है, पेंशन पाने के उद्देश्य से प्राधिकरण में की गई सेवा की गणना कराने का विकल्प प्राप्त होगा।

9. सेवा-समाप्ति के लिए मानक प्रपत्र

इन विनियमों के अधीन अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए इन विनियमों के साथ संलग्न निर्धारित निम्नलिखित प्रपत्रों का प्रयोग किया जाएगा :

(i) प्रपत्र-I और II का प्रयोग ऐसे मामलों में किया जाएगा जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष के अलावा कोई अन्य व्यक्ति हो।

(ii) प्रपत्र-III और IV का प्रयोग ऐसे मामलों में किया जाएगा जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं अध्यक्ष हो।

(iii) प्रपत्र-V और VI का प्रयोग अध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा समाप्ति के नोटिस की अवधि के दौरान सेवा-समाप्ति के लिए किया जाएगा।

10. **निर्वचन**

यदि इन विनियमों के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न होगी तो उसे प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा और उस पर प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

11. **अवशिष्ट मामले**

जिन मामलों के बारे में इन विनियमों के तहत कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, उन्हें समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के तदनुरूपी उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

12. **निरसन और व्यावृत्ति**

प्रारंभ होने से ठीक पूर्व प्रभावी और प्राधिकरण के कर्मचारियों पर लागू इन विनियमों के तदनुरूपी नियमों और विनियमों को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

परंतु इस प्रकार निरसित उन नियमों और विनियमों के अधीन दिए गए आदेश अथवा की गई कार्रवाई को उन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझा जाएगा।

परंतु यह निरसन इस प्रकार निरसित किए गए नियमों और विनियमों के पूर्व प्रचालन को प्रभावित नहीं करेगा और किसी भी उक्त विनियम का निरसन और उल्लंघन, उसी प्रकार दंडनीय होगा जैसे मानो यह इन विनियमों का उल्लंघन हो।

प्रपत्र-I

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के विनियम 4 के अधीन सेवा-समाप्ति का नोटिस।

फा. सं.

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

द्वार सं.30, द्वितीय तल
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
दिनांक ----------

नोटिस

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के विनियम 4 के अनुसरण में मैं ---------- (नाम और पदनाम) श्री/श्रीमती/कु0 ---------- को एतद्द्वारा नोटिस देता/देती हूँ कि इस नोटिस के तामील होने अथवा दिए जाने की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, एक माह की अवधि के समाप्त होने की तारीख से कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त हो जाएंगी।

स्थान :

दिनांक : नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पावती

मैं एतद्द्वारा आज के दिन सेवा-समाप्ति के नोटिस की प्राप्ति स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान :

दिनांक : व्यक्ति के हस्ताक्षर
पदनाम

प्रपत्र-II

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के विनियम 4 के अधीन जारी सेवा-समाप्ति का आदेश।

फा. सं.

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

द्वार सं.30, द्वितीय तल
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
दिनांक ---------------

आदेश

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के विनियम 4 के अनुसरण में मैं -- (नाम और पदनाम) एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कु0 -- की सेवाऐं तत्काल समाप्त करता/करती हूँ और निदेश देता/देती हूँ कि कर्मचारी यथास्थिति नोटिस अवधि के लिए अथवा उस अवधि के लिए जो एक माह की नोटिस अवधि से कम हो, उन्हीं दरों पर वेतन और भत्तों के समतुल्य राशि का दावा करने का हकदार होगा, जिन दरों पर वह सेवा समाप्ति से तत्काल पूर्व आहरित कर रहा था।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

1675GI/2001-2

प्रपत्र-III

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के विनियम 4 के अधीन सेवा-समाप्ति का नोटिस।

फा. सं.

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

द्वार सं.30, द्वितीय तल
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
दिनांक ----------

नोटिस

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के विनियम 4 के अनुसरण में अध्यक्ष एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कु0 ---------- को नोटिस देता है कि इस नोटिस के तामील होने अथवा दिए जाने की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, एक माह की अवधि के समाप्त होने की तारीख से कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाएगी।

अध्यक्ष के नाम और आदेश द्वारा।

स्थान :
दिनांक :

अध्यक्ष के नाम से दस्तावेजों
को अधिप्रमाणित करने के लिए
अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पावती

मैं एतद्द्वारा आज के दिन सेवा-समाप्ति के नोटिस की प्राप्ति स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान :
दिनांक :

व्यक्ति के हस्ताक्षर
पदनाम

प्रपत्र-IV

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के विनियम 4 के अधीन जारी सेवा-समाप्ति का आदेश।

फा. सं.

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

द्वार सं.30, द्वितीय तल
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
दिनांक ----------

आदेश

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के विनियम 4 के अनुसरण में अध्यक्ष एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कु0 ---------- की सेवाएँ तत्काल समाप्त करता है और निदेश देता है कि कर्मचारी यथास्थिति नोटिस अवधि के लिए अथवा उस अवधि के लिए जो एक माह की नोटिस अवधि से कम हो, उन्हीं दरों पर वेतन और भत्तों के समतुल्य राशि का दावा करने का हकदार होगा, जिन दरों पर वह सेवा-समाप्ति से तत्काल पूर्व आहरित कर रहा था।

अध्यक्ष के नाम और आदेश द्वारा।

स्थान :
दिनांक :

अध्यक्ष के नाम से दस्तावेजों
को अधिप्रमाणित करने के लिए
अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-V

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के विनियम 4 के अधीन जारी सेवा-समाप्ति का आदेश, सेवा-समाप्ति के नोटिस की मियाद के दौरान पहले से तामील नोटिस, जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष है :

फा. सं.

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

द्वार सं.30, द्वितीय तल
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
दिनांक ----------

आदेश

श्री/श्रीमती/कु0 ---------- की सेवा-समाप्ति के नोटिस सं. ---------- दिनांक ---------- में संशोधन करते हुए और महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के अनुसरण मे अध्यक्ष एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कु0 ---------- की सेवाएँ तत्काल समाप्त करता है और निदेश देता है कि कर्मचारी को उस अवधि के लिए जो एक माह की नोटिस अवधि से कम हो, उन्हीं दरों पर परिकलित वेतन और भत्तों के समतुल्य राशि दी जाएगी जिन दरो पर वह इस आदेश के तत्काल पूर्व आहरित कर रहा था।

अध्यक्ष के नाम और आदेश द्वारा।

स्थान :
दिनांक :

अध्यक्ष के नाम से दस्तावेजों
को अधिप्रमाणित करने के लिए
अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-VI

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के विनियम 4 के अधीन जारी सेवा-समाप्ति का आदेश, सेवा-समाप्ति के नोटिस की मियाद के दौरान पहले से तामील नोटिस।

फा. सं.

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

द्वार सं.30, द्वितीय तल
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
दिनांक ----------

आदेश

श्री/श्रीमती/कु0 ---------- की सेवा-समाप्ति के नोटिस सं. ---------- दिनांक ---------- में संशोधन करते हुए और महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (अस्थायी सेवा) विनियम, 2001 के अनुसरण में मैं एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कु0 ---------- की सेवाएँ तत्काल समाप्त करता/करती हूँ और निदेश देता/देती हूँ कि कर्मचारी को उस अवधि के लिए जो एक माह की नोटिस अवधि से कम हो, उन्हीं दरों पर परिकलित वेतन और भत्तों के समतुल्य राशि दी जाएगी जिन दरों पर वह इस आदेश के तत्काल पूर्व आहरित कर रहा था।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन सं. 3/4/143/2000/असाधारण]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2001

No. A-30012/1/98-TAMP.—In exercise of the powers conferred under Section 123A read with Section 47H(2) of the Major Port Trust Act, 1963 (Act No. 38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports with the concurrence of the Central Government, hereby makes the following Regulations namely :

1. Short title and commencement

(i). These Regulations may be called Tariff Authority for Major Ports, (Temporary Service) Regulations,2001.

(ii). They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Applications

These Regulations shall apply to all officers/employees save the following:

(i). The Chairman.

(ii). The Member (including a part time Member).

(iii). An employee not in a whole time employment.

(iv). An employee engaged on contract.

(v). An employee paid out of contingencies.

3. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

(i). "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (Act No.38 of 1963).

(ii). "Authority" means the Tariff Authority for Major Ports constituted under section 47 A of the Act.

(iii). "Appointing Authority" means the Chairman or any other officer so authorised by him.

(iv). "Central Autonomous Body" means a body which is financed wholly or substantially from cess or Central Government grants and includes a Central Statutory Body or a Central University but does not include a Public Undertaking falling under the purview of the Bureau of Public Enterprises.

(v). "Chairman" means the Chairperson of the Tariff Authority for Major Ports appointed under section 47 A of the Act.

(vi). "Employee" means a person appointed in the office of the Authority against any of the post, in terms of its service Regulations.

(vii). "Financed substantially" means meeting more than 50% expenditure by cess or from Central Government grants.

(viii). "Member" means the Member (including a part-time Member) of the Authority appointed under Section 47A of the Act.

(ix). "Pay" means basic pay in the pay scale plus special pay, plus dearness pay and any other emoluments classified as pay.

(x). "Permanent employee" means an employee who holds a substantive or provisionally substantive post or who holds a lien on a permanent post or who would have held a lien on a permanent post had the lien not been suspended.

(xi). "Probationer" means a person appointed on probation to a post in the office of the Authority.

(xii). "Public Servant" has the same meaning as defined under Section 112 of the Act.

(xiii). "Temporary Service" means, the service of an employee in a temporary post or officiating service in a permanent post under the Authority.

4. Termination of Temporary Service

(i). (a). The services of an employee in temporary service shall be liable to be terminated at any time by a notice in writing given either by the employee to the Appointing Authority or by the Appointing Authority to the employee.

(b). The period of such notice shall be one month;

provided that the services of any such employee can be terminated forthwith, and, on such termination, the employee shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his/her pay plus allowances for the period of the notice at the same rate at which [illegible] the termination of

his/her service or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

(ii). The following procedure shall be adopted by the Appointing Authority while serving notice on such employee under Clause (i) -

(a) the notice shall be delivered or tendered to the employee in person;

(b) when personal service is not practicable, the notice shall be served on the employee by registered post (acknowledgement due) at the address of the employee available with the Authority; and,

(c) if the notice sent by registered post is returned unserved it shall be published both in Hindi and English in the Gazette of India/two leading newspapers and upon such publication, it shall be deemed to have been personally served on such employee on the date it was published in the Gazette of India/newspapers.

(iii). Where a notice is given by the Appointing Authority terminating services of a temporary employee, or where the service of any employee is terminated either on the expiry of the period of such notice or forthwith by payment of pay plus allowances, the Authority or any other authority specified by the Authority in this behalf or a Head of the Authority, if the said authority is subordinate to him, may on its own motion or otherwise re-open the case, and after making such enquiry as it deems fit –

(a) confirm the action taken by the Appointing Authority;
(b) withdraw notice;
(c) reinstate the employee in service; or
(d) make such other order in the case as it may consider proper;

provided that, except in special circumstances, which shall be recorded in writing, no case shall be reopened under this Regulation after the expiry of three months-

(a) from the date of notice in a case when notice is given; and,
(b) from the date of termination of service, in case where no notice is given.

(iv). Where an employee is reinstated in service under Clause (iii) - the order of reinstatement shall specify -

(a) the amount or proportion of pay and allowance, if any, to be paid to an employee for the period of his/her absence between the date of termination of his/her service and the date of his/her reinstatement; and,

(b) whether the said period shall be treated as a period spent on duty for any specified purpose or purposes.

5. **Termination of service of persons on probation**

In case where specific conditions regarding termination of service without any notice during or at the end of the period of probation (including extended period, if any), have been made in the letter of appointment, the services of the probationer/person on probation shall be terminated in terms of the letter of appointment and not under these Regulations.

6. **Payment of cash equivalent of leave salary**

(i). Where the services of an employee are terminated by notice or by payment of pay and allowances in lieu thereof, or otherwise in accordance with the terms and conditions of his/her appointment, he/she shall be granted cash equivalent for the earned leave at his/her credit on the date on which he/she ceases to be in service subject to a maximum of 300 days.

(ii). Where the employee resigns or quits service, he/she shall be granted cash equivalent for the earned leave at his/her credit on the date of cessation of service, to the extent of half of such leave at his/her credit, subject to a maximum of 150 days.

(iii). The cash equivalent payable under Clauses (i) and (ii) shall be calculated as follows:

$$\text{Cash equivalent} = \frac{\text{Pay admissible on the Date of cessation plus DA admissible on that date}}{30} \times \text{No. of days of unutilized earned leaves for which encashment is admissible.}$$

This payment shall be made in one lump sum as a one-time settlement – No HRA or CCA shall be payable.

(iv). Where an employee dies while in service, the cash equivalent of the leave salary that deceased employee would have got had he/she gone on earned leave and that would have been due and admissible to him/her but for the death on the date immediately following the death and in any case not exceeding leave salary for 300 days, shall be paid to his/her family without any reduction on account of pension equivalent of death-cum-retirement gratuity. In addition to the cash equivalent of leave salary admissible under these Regulations, the family of the deceased employee shall also be entitled to payment only of dearness allowance as per orders issued in this behalf separately

7. **Termination of temporary service on account of being physically unfit**

Notwithstanding anything contained in these Regulations, the services of an employee in temporary service may be terminated at any time without notice on his/her being declared physically unfit for continuance in service by an authority competent to declare him/her permanently incapacitated for service had his/her appointment been permanent.

8. **Terminal gratuity payable to temporary employee**

(i). Subject to the provisions of Clause (iii), an employee in temporary service who retires on superannuation or is discharged from service or is declared invalid for further service shall be eligible for gratuity at the rate of –

(a) one-half of a month's pay for each completed year, if he/she had completed not less than five years' continuous service at the time of retirement, discharge or invalidment; and,

(b) one month's pay for each completed year of his/her service, subject to a maximum of fifteen months' or Rupees fifteen thousand whichever, is less, if he/she had completed not less than ten years' continuous service at the time of retirement, discharge or invalidment ;

provided that the amount of terminal gratuity payable under these Regulations shall not be less than the amount which the employee would have got as a matching contribution if he/she were a member of a TAMP CPF Scheme from the date of his/her continuous temporary service subject to the condition that the matching contribution shall not exceed 8 1/3 per cent of his/her pay.

(ii). In the case of an employee in temporary service who is compulsorily retired from service as a disciplinary measure, the provisions of Clause (i) shall apply subject to the modification that the rate of gratuity payable in his/her case shall not be less than two-third of, but in no case exceeding, the rates specified under Clauses (i) (a) and (b) as the case may be.

(iii). In the case of a temporary employee who retires from service on attaining the age of superannuation or on his/her being declared permanently incapacitated for further service by the appropriate medical authority, after he/she has rendered temporary service of not less than ten years or who has sought voluntary retirement by giving three months' notice in writing on completion of 20 years of service, provision of Clauses (i) shall not apply and in accordance with the provision of CCS (Pension) Rules, 1972 (till the TAMP (Pension) Regulations are notified in the Gazette of India) –

(a) such an employee shall be eligible for the grant of superannuation, invalid or retiring pension, as the case may be, and retirement gratuity; and,

(b) in the event of his/her death after retirement, the members of his/her family shall be eligible for the grant of family pension.

(iv). In the event of death of an employee in temporary service, his/her family shall be eligible for family pension and death gratuity at the same scale and under the same provisions as are applicable to permanent

employees under the CCS (Pension) Rules, 1972, till the TAMP (Pension) Regulations are notified in the Gazette of India.

(v). No gratuity shall be admissible to an employee –

(a) who resigns his/her post or who is removed or dismissed from service as a disciplinary measure; and,

(b) who is re-employed after retirement on superannuation or retiring pension,

provided that an employee in temporary service who resigns from service to take up, with prior permission, an appointment under Govt., a corporation or a company wholly or substantially owned or controlled by the Government or in or under a body controlled or financed by Government shall be paid terminal gratuity at the rate prescribed under Clause (i) in respect of the service rendered by him/her in the Authority;

Provided further that an employee in temporary service who has been absorbed in Central Government or any other Central autonomous body with the permission of the Authority shall have an option to count the service rendered under the Authority for the purpose of pension under Central Government or its autonomous body if it has a pension scheme, instead of drawing the terminal gratuity under Regulation 8(i).

9. **Standard performae for termination of service**

The following performae prescribed appended to these Regulations shall be used for termination of services of the temporary employee under these Regulations;

(i). Forms I and II are for use in cases where the Appointing Authority is other than Chairman.

(ii). Forms III and IV are to be used in cases where the Appointing Authority is the Chairman.

(iii). Forms V and VI are to be used by the Chairman or the Appointing Authority for termination of service during the currency of the notice of termination of service.

10. **Interpretation**

If any question relating to the interpretation of these Regulations arises, it shall be referred to the Authority whose decision thereon of the Authority shall be final and binding.

11. **Residuary matters**

Matters with respect to which no specific provision has been made under these Regulations, shall be regulated under corresponding provisions of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 as amended from time to time.

12. Repeal and Saving

Any rules and Regulations corresponding to these Regulations in force immediately before commencement and applicable to the employees of the Authority are hereby repealed.

provided that any order made or action taken under the rules and regulations so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Regulations.

provided further that sucn repeal shall not affect the previous operation of the rules and regulations so repealed and a contravention of any of the said Rules and Regulations shall be punishable as if it were a contravention of these Regulations.

FORM I

Notice of termination of service under Regulation 4 of the TAMP (Temporary Service) Regulations, 2001.

F. No.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Gate No. 30, II Floor,
J.L. N. Stadium, New Delhi.
Dated.....

NOTICE

In pursuance of Regulation 4 of the Tariff Authority for Major Ports (Temporary Service) Regulations, 2001, I..... (name and designation) hereby give notice to Shri/Smt./Kumari .....that his/her services shall stand terminated with effect from the date of expiry of the period of one month from the date on which this notice is served on, or, as the case may, tendered to him/her.

Station :

Date:

Signature of the Appointing Authority

ACKNOWLEDGEMENT

I hereby acknowledge the receipt on this day of notice of termination from service.

Station:

Date:

Signature of the Individual
Designation

FORM II

Order of termination of service issued under Regulation 4 of the TAMP (Temporary Service) Regulations, 2001.

F. No.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Gate No. 30, II Floor,
J.L. N. Stadium, New Delhi.
Dated.....

ORDER

In pursuance of Regulation 4 of the Tariff Authority for Major Ports (Temporary Service) Regulations, 2001, I..... (name and designation) hereby terminate forthwith the services of Shri/Smt./Kumari..... and direct that he/she shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his/her pay plus allowances for the period of notice at the same rates at which he/she was drawing them immediately before the termination of his/her service, or, as the case may be, for the period of which such notice falls short of one month.

Signature of the Appointing Authority

Station:

Date:

FORM III

Notice of termination of service under Regulation 4 of the TAMP (Temporary Service) Regulations, 2001.

F. No.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Gate No. 30, II Floor,
J.L. N. Stadium, New Delhi.
Dated.....

NOTICE

In pursuance of Regulation 4 of the Tariff Authority for Major Ports (Temporary Service) Regulations, 2001 the Chairman hereby gives notice to Shri/Smt./Kumari..... that his/her services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is served on, or, as the case may be tendered to him/her.

By order and in the name of the Chairman.

Station :

Date :

Signature of the authority
empowered to authenticate
documents in the name of
the Chairman

ACKNOWLEDGEMENT

I hereby acknowledge the receipt on this day of notice of termination from service.

Station:

Date:

Signature of the Individual
Designation

FORM IV

Order of termination of service issued under Regulation 4 of the TAMP (Temporary Service) Regulations, 2001.

F. No.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Gate No. 30, II Floor,
J.L. N. Stadium, New Delhi.
Dated.....

ORDER

In pursuance of Regulation 4 of the Tariff Authority for Major Ports (Temporary Service) Regulations, 2001, the Chairman hereby terminates forthwith the services of Shri/Smt./Kumari..... .....
.....and directs that he/she shall be entitled to claim a sum equivalent to the same rate at which he/she was drawing them immediately before the termination of his/her service, or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

By order and in the name of the Chairman.

Station:

Date:

Signature of the authority
empowered to authenticate
documents in the name of
the Chairman.

FORM V

Order of the termination of service issued under Regulation 4 of the TAMP (Temporary Service) Regulations, 2001, during the currency of the notice of termination of services already served on him/her, where the Appointing Authority is the Chairman:

F. No.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Gate No. 30, II Floor,
J.L.N. Stadium, New Delhi.
Dated.....

ORDER

In modification of notice No.....dated..... of termination of services of Shri/Smt./Kumari..... and in pursuance of Regulation 4 of the Tariff Authority for Major Ports (Temporary Service) Regulations, 2001 the Chairman hereby terminates forthwith the services of Shri/Smt./Kumari..... .....and directs that he/she shall be paid a sum of equivalent to the amount of pay and allowances for the period by which the said notice falls short of one month calculated at the same rates at which he/she was drawing them immediately before the date of this order.

By order and in the name of the Chairman.

Station:

Date:

Signature of the authority
empowered to authenticate
documents in the name of
the Chairman.

FORM VI

Order of the termination of service issued under Regulation 4 of the TAMP (Temporary Service) Regulations, 2001, during the currency of the notice of termination of services already served on him/her.

F. No.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Gate No. 30, II Floor,
J.L.N. Stadium, New Delhi.
Dated.....

ORDER

In modification of notice No..... dated..... of termination of services of Shri/Smt./Kumari.....and in pursuance of Regulation 4 of the Tariff Authority for major Ports (Temporary Service) Regulations 2001, I hereby terminates forthwith the services of Shri/Smt./Kumari.....and directs that he/she shall be paid a sum equivalent to the amount of pay and allowances for the period by which the said notice falls short of one month calculated at the same rates at which he/she was drawing them immediately before the date of this order.

Signature of the Appointing Authority

Station:

Dated :

S. SATHYAM, Chairman

[Advt. No. III/IV/143/2000/Exty.]

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054